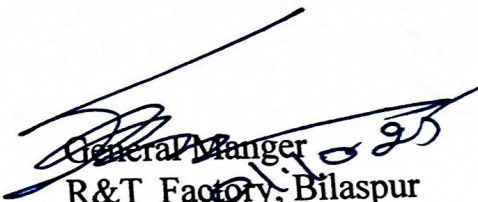


**HIMACHAL PRADESH STATE FOREST DEV. CORPORATION LTD,
ROSIN AND TURPENTINE FACTORY, BILASPUR (HP)
Notice for online E-auction**

Online E-auction for the sale of following material shall be held on site <https://hpfdecauction.co.in/HP/home/> on 10.10.2025 Bidder who have GSTIN No. and PAN No. are eligible for participating in online e-auction.

Sr.No	Particulars/Lots	Approx. (Qty)	UOM	Start Time online bidding	Ending Time online bidding	Eligibility Amount (EMD)
1	Resin used empty Tins /1/25-26	100000 Kg	Rs/Kg	02:00 PM	04:00 PM	1,00,000/-
2	Resin used empty Tins /2/25-26	100000 Kg	Rs/Kg			
3	Resin used empty Tins /3/25-26	100000 Kg	Rs/Kg			
4	TPB Scrap /4/25-26	40000 Kg	Rs/Kg	02:00 PM	04:00 PM	10,000/-
5	PGI Scrap/5/25-26	20000 Kg	Rs/Kg	02:00 PM	04:00 PM	10,000/-

For other terms & Conditions and eligibility amount of online e-auction please visit www.hpforestco.in and <https://hpfdecauction.co.in/HP/home/> for Registration, Username & Password please login to <https://hpfdecauction.co.in/HP/home/> or contact No.9960862901 and 9172652252 of Sparsh Technologies.


General Manager
R&T Factory, Bilaspur

हिमाचल प्रदेश स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

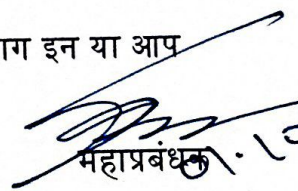
बिरोजा एंड तारपीन कारखाना बिलासपुर (हि० प्र०)

दिनांक 10.10.2025 को आमंत्रित खाली टिनों (Resin used empty Tin) को बेचने के लिए ऑनलाइन निलामी की शर्तें निम्न प्रकार से हैं:-

1. यह ऑनलाइन निलामी हिमाचल प्रदेश स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, बिरोजा व तारपीन कारखाना बिलासपुर के कार्यालय में दिनांक 10.10.2025 को साँय 2 बजे से साँय 4:00 बजे तक <https://hpfdceauction.co.in/HP/home/> पर आयोजित किया जाएगा।
2. केवल वही बोलीदाता निलामी में भाग ले सकते हैं जिनके पास GSTIN No. एवं PAN No. का प्रमाण पत्र होगा तथा उक्त प्रमाण पत्र निलामी से पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. ऑनलाइन नीलामी: "English No Ties"
4. केवल वही बोलीदाता निलामी में बोली दे सकता है जिसने मु० 100000/- रु० का NEFT/ बैंक ड्राफ्ट पात्रता राशि के रूप में बोली देने से पहले जमा करवाया हो तथा यह NEFT/ बैंक ड्राफ्ट "प्रबन्ध निदेशक हिमाचल प्रदेश स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड" के पक्ष में होना चाहिए। असफल बोलीदाता को यह पात्रता राशि निलामी के उपरांत वापिस कर दी जाएगी। सफल बोलीदाता को कुल कांट्रैक्ट राशि का 10% प्रतिभूति के तौर पर NEFT/ बैंक ड्राफ्ट के रूप में पत्र जारी होने के 7 दिन के अन्दर जमा करवाना होगा। इस राशि में पात्रता राशि को भी जोड़ लिया जाएगा। बैंक ड्राफ्ट "प्रबन्ध निदेशक हिमाचल प्रदेश स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड" के पक्ष में होना चाहिए तथा बिलासपुर (हि० प्र०) में देय होना चाहिये। अगर प्रतिभूति राशि तीन दिन के अन्दर जमा नहीं करवाई गई तो पात्रता राशि जब्त कर ली जाएगी व ई-निलामी रद्द कर दी जाएगी।
Bank account details for NEFT:
बैंक का नाम :- Axis Bank Bilaspur (HP)
खाता न. :- 919020087967336
आई एफ एस सी (IFSC) :- UTIB0004247
5. शर्तीय (conditional) और ऑफलाइन बोली स्वीकार नहीं होगी।
6. सफल बोलीदाता की प्रतिभूति राशि इस कार्यालय में सिक्योरटी के रूप में रहेगी तथा निलाम किए टीन निर्धारित अवधि में उठा लेने के उपरांत रलीज़ की जाएगी।
7. खाली टीन कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से साय 3 बजे के मध्य अग्रिम राशि जमा करवाने के उपरांत उठाए जा सकते हैं।
8. ऑनलाइन निलामी की सूची व शर्तें <https://hpfdceauction.co.in/HP/home/> पर भी उपलब्ध है। ऑनलाइन नीलामी की सूची व शर्तें बिरोजा व तारपीन कारखाना, बिलासपुर कार्यालय से कार्य दिवस में 10 बजे से 5 बजे तक प्राप्त की जा सकती है।
9. ऑनलाइन निलामी सूचना में दर्शाई गई मात्रा प्रति लॉट (Lot) कुल संख्या 100000 न० टिन (लगभग 100000 कि०ग्रा०) के अनुसार बोली देनी होगी।
10. ऑनलाइन निलामी में दर प्रति किलोग्राम देनी होगी। जिसमें कर शामिल नहीं होगा। कर अतिरिक्त नियमानुसार देय होगा।

11. समय की मांग के अनुरूप GST अथवा अन्य कोई भी कर इत्यादि जो हिमाचल प्रदेश सरकार या केंद्रीय सरकार को देय होगा बोलीदाता को देना होगा। यह कर मूल दर के अतिरिक्त देना होगा।
12. खाली टिन जो कारखाना परिसर में जैसे है व जहां है (As it is where it is basis) के आधार पर बेचे जा रहे हैं। बोलीदाताओं को बोली देने से पहले खाली टिनों (Resin used empty Tin) का निरीक्षण स्वयं अपने हित में कर लेना उचित होगा।
13. खाली टिनों को कारखाना परिसर के अंदर काटने की अनुमति सफल बोलीदाता के अनुरोध पर दी जा सकती है। जिसका खर्चा बोलीदाता को स्वयं वहन करना होगा तथा कटे हुए खाली टिनो को अलग से रखना होगा ताकि खाली टिनो को फैकने का स्थान खाली हो सके तथा एक सप्ताह के अन्दर मूल्य राशि जमा कर के कटे हुए टिन उठाने होंगे।
14. बोलीदाता को खाली टिनो की लोडिंग / परिवहन स्वयं अपने खर्चे पर करवाना होगा।
15. किसी भी प्रकार का मतभेद हो जाने पर प्रबंध निदेशक शिमला का निर्णय दोनों पक्षों को अंतिम व मान्य होगा।
16. प्रस्तावित निलामी बिना कोई कारण बताए किसी भी समय रद्द की जा सकती है।
17. न्यायालय का क्षेत्राधिकार बिलासपुर हिमाचल प्रदेश होगा।
18. टिनों का वजन कारखाना में लगे धर्म कांटा द्वारा किया गया ही मान्य होगा तथा बिलिंग उसके अनुरूप की जाएगी।
19. अगर सफल बोलीदाता के कारण कारखाना की सम्पदा व कार्य में कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई भी सफल बोलीदाता को करनी होगी तथा कारखाना के अंदर निर्धारित नियमों का पालन करना होगा।
20. सफल बोलीदाता को निलामी की निर्धारित सभी शर्तों का पालन करना होगा अन्यथा किसी भी प्रकार की अनियमितता / उलंघन पाये जाने पर बोली को रद्द कर दिया जाएगा तथा प्रतिभूति राशि को भी वन निगम के पक्ष में जब्त कर लिया जाएगा।
21. सफल बोलीदाता को खाली टिन (Resin used empty Tin) तीन माह के भीतर उठाने होंगे। यदि सफल बोलीदाता इस शेड्यूल में खाली टिन नहीं उठाता है, तो सफल बोलीदाता से 1000 रु० प्रतिदिन की दर से ग्राउंड रेंट वसूल किया जाएगा। जो निश्चित अवधि तक लागू होगा।
22. यदि सफल बोलीदाता निश्चित अवधि (तीन माह के भीतर के बाद अधिकतम 15 दिन) में खाली टिन नहीं उठाता है तो जमा कारवाई गई प्रतिभूति राशि वन निगम के खाते में जब्त कर दी जाएगी तथा ग्राउंड रेंट इसके अतिरिक्त @ 200रु० प्रतिदिन शुरू से वसूला जाएगा जब से शर्तों का पालन नहीं किया गया होगा।
23. यदि सफल बोलीदाता अवधि बढ़ोतरी के लिए आवेदन करता है तो @ 200रु० प्रतिदिन के हिसाब से ग्राउंड रेंट देय होगा जो अवधि बढ़ोतरी के लिए निश्चित अवधि समाप्ति से आवेदन के दिन तक तुरन्त जमा करना होगा तभी आवेदन पर विचार किया जाएगा। आवेदन पर विचार करना कारखाना प्रबंधन के अधिकार में होगा।

रजिस्ट्रेशन, यूजरनेम तथा पासवर्ड के लिए <https://hpfcdceauction.co.in/HP/home/> पर लाग इन या आप इन फोन नंबर पर 9960862901, 9172652252 पर संपर्क कर सकते हैं।


महाप्रबंधक 109

मैंने / हमने उपरोक्त सभी शर्तें, शर्त न० 1. से 23 तक ध्यानपूर्वक पढ़ व सुन ली है, तथा मुझे सभी शर्तें मंजूर है।

हिमाचल प्रदेश स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
बिरोजा एंड तारपीन कारखाना बिलासपुर (हि० प्र०)

दिनांक 10.10.2025 को आमंत्रित टिन पतरा स्क्रेप इत्यादि को बेचने के लिए ऑनलाइन निलामी की शर्तें निम्न प्रकार से हैं:-

- (1) यह ऑनलाइन निलामी हिमाचल प्रदेश स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बिरोजा व तारपीन कारखाना बिलासपुर के कार्यालय में दिनांक 10.10.2025 को साँय 2 बजे से साँय 4 बजे तक <https://hpfdecauction.co.in/HP/home/> पर आयोजित किया जाएगा।
- (2) केवल वही बोलीदाता निलामी में भाग ले सकते हैं जिनके पास GSTIN No. एवं PAN No. का प्रमाण पत्र होगा तथा उक्त प्रमाण पत्र निलामी से पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (3) ऑनलाइन निलामी: "English No Ties"
- (4) केवल वही बोलीदाता निलामी में बोली दे सकता है जिसने मु० 10000/- रु० का NEFT/ बैंक ड्राफ्ट पात्रता राशि के रूप में बोली देने से पहले जमा करवाया हो तथा यह NEFT/ बैंक ड्राफ्ट "प्रबन्ध निदेशक हिमाचल प्रदेश स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड" के पक्ष में होना चाहिए। असफल बोलीदाता को यह पात्रता राशि निलामी के उपरांत वापिस कर दी जाएगी। सफल बोलीदाता को प्रत्येक मद की कुल कांट्रैक्ट राशि का 10% प्रतिभूति राशि के तौर पर NEFT/ बैंक ड्राफ्ट के रूप में पत्र जारी होने के 7 दिन के भीतर जमा करवाना होगा। बैंक ड्राफ्ट "प्रबन्ध निदेशक हिमाचल प्रदेश स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड" के नाम हो तथा बिलासपुर (हि० प्र०) में देय होना चाहिए। इस राशि में पात्रता राशि को भी जोड़ लिया जाएगा। अगर सफल बोलीदाता प्रतिभूति राशि दो दिन के भीतर जमा नहीं करेगा तो जमा पात्रता राशि 10000/- रु० को वन निगम के पक्ष में जब्त कर लिया जाएगा।

Bank account details for NEFT:

बैंक का नाम :- Axis Bank Bilaspur (HP)

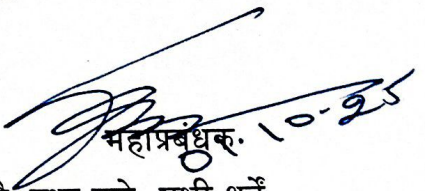
खाता न. :- 919020087967336

आई एफ एस सी (IFSC) :- UTIB0004247

- (5) शर्तीय (conditional) और ऑफलाइन बोली स्वीकार नहीं होगी।
- (6) सफल बोलीदाता की प्रतिभूति राशि इस कार्यालय में सिक्योरटी के रूप में रहेगी तथा निलाम की गई स्क्रेप को निर्धारित अवधि में उठा लेने के उपरांत रिलीज की जाएगी।
- (7) टिन पतरा स्क्रेप कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से साय 3 बजे के मध्य अग्रिम राशि जमा करवाने के उपरांत उठाए जा सकते हैं।
- (8) ऑनलाइन निलामी की सूची व शर्तें <https://hpfdecauction.co.in/HP/home/> पर भी उपलब्ध है। ऑनलाइन निलामी की सूची व शर्तें बिरोजा व तारपीन कारखाना, बिलासपुर कार्यालय से कार्य दिवस में 10 बजे से 5 बजे तक प्राप्त की जा सकती है।
- (9) ऑनलाइन निलामी सूचना में दर्शाई गई 40000 किलोग्राम टिन पतरा स्क्रेप की मात्रा अनुमानित है जोकि घट या बढ़ भी सकती है।

- 8) अनलाइन निलामी में दर प्रति किलोग्राम देनी होगी | जिसमें कर शामिल नहीं होंगे |
- 9) समय की मांग के अनुरूप GST अथवा अन्य कोई भी कर इत्यादि जो हिमाचल प्रदेश सरकार या केंद्रीय सरकार को देय होगा बोलीदाता को देना होगा | यह कर मूल दर के अतिरिक्त देना होगा |
- 12) ई- निलामी के लिए रखी स्क्रेप जो कारखाना परिसर में जैसे है व जहां है (As it is where it is basis) के आधार पर बेची जा रही है | बोलीदाताओं को बोली देने से पहले स्क्रेप का निरीक्षण स्वयं अपने हित में कर लेना उचित होगा |
- 13) बोलीदाता को स्क्रेप की लोडिंग / परिवहन स्वयं अपने खर्चे पर करवाना होगा |
- 14) किसी भी प्रकार का मतभेद हो जाने पर प्रबंध निदेशक शिमला का निर्णय दोनों पक्षों को अंतिम व मान्य होगा |
- 15) प्रस्तावित निलामी बिना कोई कारण बताए किसी भी समय रद्द की जा सकती है |
- 16) न्यायालय का क्षेत्राधिकार बिलासपुर हिमाचल प्रदेश होगा |
- 17) स्क्रेप का वजन कारखाना में लगे धर्म कांटा द्वारा किया गया ही मान्य होगा तथा बिलिंग उसके अनुरूप की जाएगी |
- 18) अगर सफल बोलीदाता के कारण कारखाना की संपदा व कार्य में कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई भी सफल बोलीदाता को करनी होगी तथा कारखाना के अंदर निर्धारित नियमों का पालन करना होगा |
- 19) सफल बोलीदाता को निलामी की निर्धारित सभी शर्तों का पालन करना होगा अन्यथा किसी भी प्रकार की अनियमितता / उलंघन पाये जाने पर बोली को रद्द कर दिया जाएगा तथा प्रतिभूति राशि को भी वन निगम के पक्ष में जब्त कर लिया जाएगा |
- 20) सफल बोलीदाता को दर्शायी गई स्क्रेप 30.04.2026 से पहले उठानी होगी | अगर सफल बोलीदाता इस अवधि में भी टिन पत्रा स्क्रेप नहीं उठाता है तो सफल बोलीदाता से 200 रु० प्रतिदिन की दर से ग्राउंड रेंट वसूल किया जाएगा | अधिकतम कुल ग्राउंड रेंट की सीमा 3000/- रु० हो सकती है | उसके बाद टिन पत्रा स्क्रेप न उठा पाने की स्थिति में सफल बोलीदाता द्वारा जमा कारवाई गई प्रतिभूति राशि वन निगम के खाते में जब्त कर ली जाएगी |

रजिस्ट्रेशन, यूजरनेम तथा पासवर्ड के लिए <https://hpfdecauction.co.in/HP/home/> पर लाग इन या आप इन फोन नंबर पर 9960862901 , 9172652252 पर संपर्क कर सकते है |


महाप्रबंधक 10-25

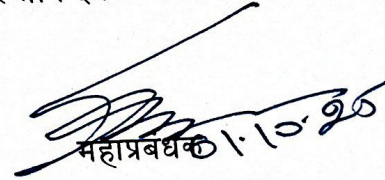
मैने / हमने उपरोक्त सभी शर्तें , शर्त न० 1. से 20 तक ध्यानपूर्वक पढ़ व सुन ली है, तथा मुझे सभी शर्तें मंजूर है |

हिमाचल प्रदेश स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
बिरोजा एंड तारपीन कारखाना बिलासपुर (हि० प्र०)

दिनांक 10.10.2025 को आमंत्रित पी०जी०आई० स्क्रेप को बेचने के लिए ऑनलाइन निलामी की शर्तें निम्न प्रकार से हैं:-

- (1) यह ऑनलाइन निलामी हिमाचल प्रदेश स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बिरोजा व तारपीन कारखाना बिलासपुर के कार्यालय में दिनांक 10.10.2025 को साँय 2 बजे से साँय 4 बजे तक <https://hpfdcceauction.co.in/HP/home/> पर आयोजित किया जाएगा।
 - (2) केवल वही बोलीदाता निलामी में भाग ले सकते हैं जिनके पास GSTIN No. एवं PAN No. का प्रमाण पत्र होगा तथा उक्त प्रमाण पत्र निलामी से पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 - (3) ऑनलाइन निलामी: "English No Ties"
 - (4) केवल वही बोलीदाता निलामी में बोली दे सकता है जिसने मु० 10000/- रु० का NEFT/ बैंक ड्राफ्ट पात्रता राशि के रूप में बोली देने से पहले जमा करवाया हो तथा यह NEFT/ बैंक ड्राफ्ट "प्रबन्ध निदेशक हिमाचल प्रदेश स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड" के पक्ष में होना चाहिए। असफल बोलीदाता को यह पात्रता राशि निलामी के उपरांत वापिस कर दी जाएगी। सफल बोलीदाता को प्रत्येक मद की कुल कांट्रैक्ट राशि का 10% प्रतिभूति राशि के तौर पर NEFT/ बैंक ड्राफ्ट के रूप में पत्र जारी होने के 7 दिन के भीतर जमा करवाना होगा। बैंक ड्राफ्ट बैंक ड्राफ्ट "प्रबन्ध निदेशक हिमाचल प्रदेश स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड" के नाम हो तथा बिलासपुर (हि० प्र०) में देय होना चाहिए। इस राशि में पात्रता राशि को भी जोड़ लिया जाएगा। अगर सफल बोलीदाता प्रतिभूति राशि दो दिन के भीतर जमा नहीं करेगा तो जमा पात्रता राशि 10000/- रु० को वन निगम के पक्ष में जब्त कर लिया जाएगा।
- Bank account details for NEFT:
- बैंक का नाम :- Axis Bank Bilaspur (HP)
- खाता न. :- 919020087967336
- आई एफ एस सी (IFSC) :- UTIB0004247
- शर्तीय (conditional) और ऑफलाइन बोली स्वीकार नहीं होगी।
- (5) सफल बोलीदाता की प्रतिभूति राशि इस कार्यालय में सिक्क्योरटी के रूप में रहेगी तथा निलाम की गई स्क्रेप को निर्धारित अवधि में उठा लेने के उपरांत रिलीज की जाएगी।
 - (6) पी०जी०आई० स्क्रेप कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से साय 3 बजे के मध्य अग्रिम राशि जमा करवाने के उपरांत उठाए जा सकती है।
 - (7) ऑनलाइन निलामी की सूची व शर्तें <https://hpfdcceauction.co.in/HP/home/> पर भी उपलब्ध है। ऑनलाइन निलामी की सूची व शर्तें बिरोजा व तारपीन कारखाना, बिलासपुर कार्यालय से कार्य दिवस में 10 बजे से 5 बजे तक प्राप्त की जा सकती है।
 - (8) ऑनलाइन निलामी सूचना में दर्शाई गई 20000 किलोग्राम पी०जी०आई० स्क्रेप की मात्रा अनुमानित है जोकि घट या बढ़ भी सकती है।
 - (9) ऑनलाइन निलामी में दर प्रति किलोग्राम देनी होगी। जिसमें कर शामिल नहीं होंगे।

- समय की मांग के अनुरूप GST अथवा अन्य कोई भी कर इत्यादि जो हिमाचल प्रदेश सरकार या केंद्रीय सरकार को देय होगा बोलीदाता को देना होगा। यह कर मूल दर के अतिरिक्त देना होगा।
- (11) ई- निलामी के लिए रखी स्क्रेप जो कारखाना परिसर में जैसे है व जहां है (As it is where it is basis) के आधार पर बेची जा रही है। बोलीदाताओं को बोली देने से पहले स्क्रेप का निरीक्षण स्वयं अपने हित में कर लेना उचित होगा।
- (12) बोलीदाता को स्क्रेप की लोडिंग / परिवहन स्वयं अपने खर्चों पर करवाना होगा।
- (13) किसी भी प्रकार का मतभेद हो जाने पर प्रबंध निदेशक शिमला का निर्णय दोनों पक्षों को अंतिम व मान्य होगा।
- (14) प्रस्तावित निलामी बिना कोई कारण बताए किसी भी समय रद्द की जा सकती है।
- (15) न्यायालय का क्षेत्राधिकार बिलासपुर हिमाचल प्रदेश होगा।
- (16) स्क्रेप का वजन कारखाना में लगे धर्म कांटा द्वारा किया गया ही मान्य होगा तथा बिलिंग उसके अनुरूप की जाएगी।
- (17) अगर सफल बोलीदाता के कारण कारखाना की संपदा व कार्य में कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई भी सफल बोलीदाता को करनी होगी तथा कारखाना के अंदर निर्धारित नियमों का पालन करना होगा।
- (18) सफल बोलीदाता को निलामी की निर्धारित सभी शर्तों का पालन करना होगा अन्यथा किसी भी प्रकार की अनियमितता / उलंघन पाये जाने पर बोली को रद्द कर दिया जाएगा तथा प्रतिभूति राशि को भी वन निगम के पक्ष में जब्त कर लिया जाएगा।
- (19) सफल बोलीदाता को दर्शायी गई स्क्रेप 30.04.2026 से पहले उठानी होगी। अगर सफल बोलीदाता इस अवधि में भी पी०जी०आई० स्क्रेप नहीं उठाता है तो सफल बोलीदाता से 200 रु० प्रतिदिन की दर से ग्राउंड रेंट वसूल किया जाएगा। अधिकतम कुल ग्राउंड रेंट की सीमा 3000/- रु० हो सकती है। उसके बाद पी०जी०आई० स्क्रेप न उठा पाने की स्थिति में सफल बोलीदाता द्वारा जमा करवाई गई प्रतिभूति राशि वन निगम के खाते में जब्त कर ली जाएगी।
- (20) सफल बोलीदाता उपरोक्त के अनुसार स्क्रेप उठाने में असफल रहता है तो बोलीदाता को किसी भी प्रकार की समय अवधि बढ़ोतरी प्रदान नहीं की जाएगी तथा जमा करवाई गई प्रतिभूति राशि वन निगम के खाते में जब्त कर ली जाएगी।
- रजिस्ट्रेशन, यूजरनेम तथा पासवर्ड के लिए <https://hpfdcetiauction.co.in/HP/home/> पर लाग इन या आप इन फोन नंबर पर 9960862901 , 9172652252 पर संपर्क कर सकते हैं।


महाप्रबंधक 10.10.26

मैने / हमने उपरोक्त सभी शर्तें, शर्त न० 1. से 20 तक ध्यानपूर्वक पढ़ व सुन ली है, तथा मुझे सभी शर्तें मंजूर हैं।